-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2004 में थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 44 हजार रुपये जुर्माने की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2004 में थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 44 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 26.11.2004 को थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम तरखरी के रहने वाले पप्पू पुत्र रामकिशोर को देशराज पुत्र महाबीर व लाल बाबू पुत्र बिन्दा प्रसाद में चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गिरवां में मु0अ0सं0 205/04 धारा 302/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री तेजपाल सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री महेन्द्र द्विवेदी व श्री विमल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी बृजेश यादव तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप के अथक प्रयासों से दोनो अभियुक्तो को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **देशराज पुत्र महाबीर निवासी पहाड़पुर थाना गिरवां जनपद बांदा।**
2. **लाल बाबू पुत्र बिन्दा प्रसाद निवासी तरखरी थाना गिरवां जनपद बांदा।**